

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई/चि.अ./आर-1964/2025/54 दिनांक: 30/01/2025

—: आदेश:—

डॉ० राकेश कुमार चौधरी (जन्मतिथि 25.04.1980) क.वि. (निश्चेतना), हाल यूटीबी मेडिकल कॉलेज झालावाड का राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर के आदेश क्रमांक 5254 दिनांक 09.12.2024 के द्वारा सहायक आचार्य निश्चेतना के पद पर राजमेस की सेवाओं में नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन मेडिकल कॉलेज करौली में किया गया है को राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 के अनुसरण एवं राजमेस के आदेश दिनांक 26.09.2017 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत डॉ० चौधरी को सहायक आचार्य निश्चेतना के पद पर मेडिकल कॉलेज करौली में कार्यग्रहण हेतु चिकित्सा अधिकारी के पद से कार्यमुक्त किया जाता है। उक्त चिकित्सक का राजमेस में कार्यग्रहण करने की तिथि से इस विभाग में लियन समाप्त माना जावेगा।

(डॉ० रवि प्रकाश शर्मा)
निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: ई/चि.अ./आर-1964/2025/54

दिनांक: 30/01/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) राज०, जयपुर।
2. निदेशक, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर को उनके आदेश क्रमांक 5254 दिनांक 09.12.2024 के क्रम में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, झालावाड मेडिकल कॉलेज को उनके पत्रांक 54 दिनांक 09.01.2025 के क्रम में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज करौली।
5. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित ए.टी.सी/डी.पी.सी. अनुभाग, मुख्यालय।
6. डॉ० राकेश कुमार चौधरी, क.वि. द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड वास्ते।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

Document certified by RAVI PRAKASH SHARMA <directorph-r@aic.in>

Digitally Signed by Ravi Prakash Sharma
Designation: Director
Date: 29-01-2025 07:32:36